न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 52/2011

इनायत बानो आदि बनाम श्री अमृतनाथ एज्यूकेशन आदि

प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति बाबत।

उपस्थिति :

1. श्री भगवान सिंह धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—आदेश—

दिनांकः— 15.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुरा द्वारा मुकदमा संख्या 54/2009 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2009 एवं अंतिम डिकी दिनांक 17.08.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी दिनांक 23.07.2009 एवं अन्तिम डिकी दिनांक 17.08.2009 के विरूद्व एक ही अपील प्रस्तुत की है। जबकि दो डिकीयों के विरूद्व एक अपील प्रस्तुत किया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है तथा दो डिकी की एक अपील विधि द्वारा वर्जित है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि मे यह स्वीकृत तथ्य है कि प्राथमिक एंव अन्तिम डिकी की अपील सहवन से एक साथ प्रस्तुत हो चुकी है। न्यायहित एवं गुणावगुण पर निर्णय के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये नये सिरे से पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की अपील पृथक–पृथक प्रस्तुत की जानी चाहिए। दोनो डिक्रीयों की एक साथ अपील पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट विधिक बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। न्यायहित एवं गुणावगुण पर निर्णय के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट को नये सिरे से पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर